राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 179/2025 निगरानी

ग्राम पंचायत सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा राज जरिये संरपच एवं सचिव, ग्राम पंचायत सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. देवकरण पुत्र लादुलाल रेगर, निवासी सुदाणा तहसील व जिला भीलवाडा
2. बद्रीलाल पुत्र बालु रेगर, निवासी स्वाणा, तहसील व जिला भीलवाडा
3. बस्दी पत्नी बालु रेगर, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा
4. भैरूलाल पुत्र बालु रेगर, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा
5. मदन लाल पुत्र बालु रेगर, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
6. मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज, कोटा रोड, सुवाणा प्रोपराईटर सुशील कुमार पुत्र भंवर लाल चपलोत, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा
7. राजस्थान वित्त निगम जरिये शाखा प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, श्रीराम कोलोनी, सिविल लाईन, भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 विरूद्ध बापी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.02.1973

उपस्थित – श्री अजय नाहर, अधिवक्ता निगराकार की ओर से
श्री सुरेश चेचाणी, गैर निगराकार–6 की ओर से
श्री राधेश्याम विजयवर्गीय, गैर निगराकार–7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.02.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 03 राजस्थान वित्त निगम को वाके ग्राम सुवाणा, जिला भीलवाडा–राज. में स्थित आवासीय भूखण्ड (मकान) श्री हरिलाल पुत्र श्री हीरालाल गुजराती, निवासी भीलवाडा–राज. द्वारा सांम्यिक बंधक रख ऋण प्राप्त किया गया। उक्त जायदाद को श्री हरिलाल गुजराती द्वारा श्री बालु पुत्र श्री रूपा रेगर, निवासी सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा–राज से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 29.08.1983 को 10,000 /–

रूपये में कय किया गया था। श्री बालु रेगर द्वारा उक्त जायदाद को निगराकार से 125/– रूपये में दिनांक 06.02.1973 को क्रय करना बताया है और उसके द्वारा निगराकार से मिसल संख्या 15 सम्वत् 2028 दिनांक 10.05.1971 से बापी पट्टा संख्या 36 प्राप्त करना बताया है। उक्त जायदाद को गैर निगराकार संख्या 07 राजस्थान वित्त निगम द्वारा श्री हरिलाल गुजराती के ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम किये जाने के कारण नीलाम किया गया और उक्त जायदाद को गैर निगराकार संख्या 07 से गैर निगराकार संख्या 06 द्वारा क्रय किया गया। गैर निगराकार संख्या 07 द्वारा गैर निगराकार संख्या 06 के पक्ष में उक्त वादग्रस्त जायदाद के बाबत् कण्डीशनल डीड ऑफ कन्वेन्स निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात् गैर निगराकार संख्या 06 शांति इण्डस्ट्रीज द्वारा सिविल न्यायाधीश, पश्चिम, भीलवाडा के समक्ष घोषणा व निषेधाज्ञा का बाद राजस्थान राज्य, तहसीलदार एवं राजस्थान वित्त निगम के विरूद्ध इस आशय का दाखिल किया कि उक्त वादग्रस्त जायदाद को गैर निगराकार संख्या 06 के नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरित किया जाये। उक्त बाद में निगराकार को गैर निगराकार संख्या 06 द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, उक्त वाद कालान्तर में सिविल न्यायाधीश, पश्चिम, भीलवाडा से अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 03, भीलवाडा–राज में स्थानान्तरित हुआ और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 03, भीलवाडा–राज. द्वारा दिनांक 24.01.2015 को निर्णय कर गैर निगराकार संख्या 06 के पक्ष में घोषणा की डिक्री पारित की गयी। गैर निगराकार संख्या 06 द्वारा डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा ग्राम पंचायत सुवाणा, जिला भीलवाडा–राज. से उक्त वादग्रस्त जायदाद के बाबत् वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मांगी गयी। जिस पर निगराकार द्वारा अपने समस्त अभिलेखो की वस्तुस्थिति का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त वादग्रस्त जायदाद के बाबत् जारी बापी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.02.1973 के बाबत् किसी प्रकार का अभिलेख निगराकार कार्यालय में नहीं पाया गया। वादग्रस्त जायदाद के बाबत् जारी बापी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.02.1973 प्रारंभ से ही अवैध, अकृत होने से निरस्त होने योग्य है। बापी पट्टा संख्या 36 में उक्त वादग्रस्त जायदाद को निगराकार से 125/– रूपये में क्रय करना बताया गया है और उक्त राशि 125/– रूपये रोकड पुस्तिका पेज संख्या (पाना) 23 पर जमा किया जाना दर्ज किया गया है। जबकि वर्ष 1973 की रोकड पुस्तिका में उक्त पट्टे की राशि के जमा होने का कोई इन्द्रांज नहीं है। श्री बालु रेगर को निगराकार द्वारा उक्त पट्टा कभी जारी किया ही नहीं गया। बापी पट्टा संख्या 36 में मिसल संख्या 15 सम्वत् 2028 से उक्त पट्टा जारी किया जाना दर्ज किया गया है, जबकि निगराकार के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मिसल संख्या 15 सम्वत् 2028 के मिसल खोलने की तारीख 20.06. 1971 है जो श्री बालुलाल पिता श्री छोटुलाल तिवाडी, निवासी ईरास, जिला भीलवाडा के नाम से है. जो बापी पट्टा संख्या 36 में दर्ज विवरण से पूर्णतयाः भिन्न है, इससे भी यह प्रमाणित होता है कि उक्त बापी पट्टा संख्या 36 निगराकार द्वारा श्री बालु रेगर को जारी नहीं किया गया है। गैर निगराकार संख्या 06 मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज द्वारा जो वाद सिविल न्यायालय, पश्चिम, भीलवाडा में प्रस्तुत किया गया था, उसमें उक्त वादग्रस्त जायदाद की आराजी संख्या 3741 राजस्व ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा–राज की बतायी गयी है। उक्त आराजी संख्या 3741 राजस्व अभिलेख में तत्समय श्री बालु रेगर के नाम किस्म बंजड के रूप में

जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

दर्ज है व थी, इस प्रकार उक्त आराजी कृषि आराजीयात है, जिसका कभी भी आवासीय अथवा आबादी में इन्द्रांज राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ और उक्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि श्री बालु रेगर द्वारा अपनी उक्त कृषि आराजी संख्या 3741 का बापी पट्टा संख्या 36 कूटरचित तैयार किया गया है। श्री बालु रेगर की मृत्यु हो चुकी है और उसके तीन पुत्र श्री बद्री लाल, श्री भैरूलाल, श्री मदन लाल तथा पत्नी श्रीमंती बरदी है एवं एक पुत्री श्रीमती शांता भी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका एकमात्र विधिक वारिसान उसका पुत्र देवकरण रेगर है और राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी संख्या 3741 अभी भी श्री बालु रेगर के उक्त विधिक वारिसान के नाम पर दर्ज है। श्री बालु रेगर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 05 को इसमें पक्षकार संयोजित किया गया। उक्त बापी पट्टा संख्या 36 श्री बालु रेगर द्वारा कूटरचना कर तैयार किया गया है और श्री बालु रेगर द्वारा जो पंजीकृत विक्रय पत्र श्री हरिलाल गुजराती के पक्ष में निष्पादित किया गया, उसमें उक्त बापी पट्टे का कोई विवरण अथवा वर्णन नहीं है. उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 29.08.1983 की इबारत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विक्रयसुदा भूखण्ड बापी पट्टे वाला ही है ऐसी स्थिति में राजस्थान वित्त निगम गैर निगराकार संख्या 07 द्वारा बिना कोई जानकारी तथा राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किये ही उक्त वादग्रस्त जायदाद को आवासीय मानकर बन्धक रखने में अवैधानिकता कारित की है और कृषि भूमि को आवासीय व आबादी के रूप में बन्धक रख उसका विक्रय कर अवैधानिकता कारित की है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर बापी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.02.1973 प्रारम्भ से ही अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या 07 राजस्थान वित्त निगम के प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार ने बापी पटटा सं. 36 दिनांक 06.02.1973 को निरस्त कराने के लिए उक्त निगरानी प्रस्तुत की है लेकिन निगरानी के साथ उक्त मूल पट्टा अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि बेसिस ऑफ सूट होते हुए भी उसे प्रस्तुत नहीं की है तथा अब 51 वर्ष बाद केवल अस्पष्ट व अपूर्ण रोकड बही एवं आबादी भूमि के विक्रय का रजिस्टर के आधार पर यह निगरानी मिलाभगती से प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान वित्त निगम ने राज्य के औद्योगिक विकास एवं प्रगति के लिए निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने आवश्यक जांच एवं पड़ताल कर हरि लाल पिता श्री हीरा लाल जी पटेल (गुजराती) निवासी भीलवाड़ा को उसके प्रोपराईटर होने से मैर्सस शिवशक्ति शॉ मिल सुवाणा को माफिक लोन एग्रीमेन्ट दिनांक 14.05.1984 को ऋण सुविधा प्रदान की जिसके एवज में निगम की वित्त राशि की सुरक्षा के लिए हरि लाल पटेल ने पंचायत समिति सुवाणा का बापी पट्टा अन्दर हल्का आबादी पता आदि क्रमांक 15/2028 दिनांक 10.05.1971 निर्मित की जाकर 54 वर्ष पर्व उसको प्रदत्त बापी पट्टा, उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से आबादी हल्के का तलिया नपती 165 फिट बाई 165 फिट उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य में होने के दस्तावेजात आदि की पडताल करने बाद निगम ने हरि लाल पटेल को उसकी उक्त इकाई के लिए ऋण सुविधा प्रदान की। सिविल न्यायालय में उक्त बापी पट्टा प्रदर्श 01 प्रस्तुत हुआ तथा पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श 02 प्रस्तुत हुआ उसका अवलोकन कर तत्कालीन

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

अधिकारियों ने ऋण सुविधा मुहैया करायी। हरि लाल पटेल द्वारा निगम की शर्तों के अनुसार निगम की बकाया राशि अदा नहीं करने से जवाबदार निगम ने मैसर्स शिवशक्ति शॉ मिल सुवाणा की वित्त पोषित इकाई का धारा 29 एस एफ सी एक्ट के तहत अधिग्रहण किया जाकर सार्वजनिक निलामी में उक्त इकाई को श्री विनय सिंगल पुत्र श्री नानग राम सिंगल निवासी सी–119 शास्त्री नगर भीलवाड़ा को अधिग्रहित इकाई को विक्रय की उसके द्वारा भी माफिक कानून निगम की राशि अदा नहीं करने से जवाबदार निगम ने उक्त इकाई को कंडीशनल डीड ऑफ कनवेंश दिनांक 01.03.2000 को विक्रय कर दी इस प्रकार जवाबदार निगम की कोई भी राशि डिफाल्टर ईकाई में बकाया नहीं है राजस्थान वित्त निगम को निगराकार ने जानबूझकर अब 54 वर्ष बाद बदनियती से जब सिविल कोर्ट द्वारा गैरनिगराकार संख्या 06 की इजराय के निष्पादन में कलेक्टर, तहसीलदार आदि की चल सम्पतियां कुर्की होने लगी उसके बाद कलेक्टर भीलवाड़ा एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत पर दबाव डालकर तथाकथित निगरानी जवाबदार का कोई संबंध और वास्ता नहीं होते हुये भी उसे पक्षकार बनाकर ग्राम पंचायत ने पक्षकार का कुसंयोजन किया है कानूनन बिना हरि लाल पटेल को पक्षकार बनाये बिना सही स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती है। हरि लाल द्वारा ही आबादी के दस्तावेजात रहन निगम के यहां रखने से तत्तकालीन अधिकारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके है तथा 54 वर्ष बाद निगम का रिकॉर्ड भी बिडींग आउट हो जाने के बाद मियाद अधिनियम के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है जो प्राईमा फेसी मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज होने के काबिल है। ग्राम पंचायत सुवाणा को 54 वर्षों से ज्ञात है कि बापी पट्टेशुदा तलिया जिस पर औद्योगिक इकाई स्थित है तथा आसपास में भी अनेक उद्योग स्थापित है तथा अनेक वाणिज्यक कार्यालय एवं व्यवसाय हो रहा है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत सुवाणा ने विवादित तलिये एवं आसपास की औद्योगिक इकाइयों की जांच एवं तहकीकात न कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने से फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज बनाकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निवेदन है निगरकार की निगरानी खारिज फरमायी जावे तथा जवाबदार निगम का अब कोई संबंध व वास्ता नहीं होने से सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को इस प्रकरण में पक्षकार हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 06 के प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम सुवाणा, पंचायत एवं जिला भीलवाडा में स्थित आवासीय भूखण्ड को मूल खातेदार बालू रेगर पिता रूपा रेगर ने निगराकार से दिनांक 06–02–1973 को मिसल संख्या 15 संवत 2028 से बापी पट्टा सख्या 36 प्राप्त किया। बालू रेगर ने उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त भूखण्ड को दिनांक 29–08–1983 को पंजीकृत विक्रयपत्र के जरिये हरिलाल गुजराती पिता हीरालाल गुजराती को मूल्यवान प्रतिफल राशि 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये प्राप्त कर विक्रय कर दिया। हरिलाल गुजराती ने क्रयशुदा उक्त भूखण्ड को गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा के यहां साम्यिक बन्धक रख कर, दिनांक 14–05–1984 को मैसर्स शिव शक्ति शॉ मिल्स के नाम से ऋण प्राप्त किया। मूल ऋणी हरिलाल गुजराती प्रोपराईटर मैसर्स शिव शक्ति शॉ मिल्स के द्वारा गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा से प्राप्त ऋण राशि की अदायगी में व्यतिक्रमी हो जाने से, गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा ने उक्त बन्धक जायदाद को दिनांक 09–02–1995 को मैसर्स विनय सिंघल को धारा 29 एसएफसी एक्ट के तहत विक्रय कर

दी। मैसर्स विनय सिंघल द्वारा किश्त राशि भुगतान करने में व्यतिक्रम कारित करने पर उक्त वादग्रस्त जायदाद को गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा ने खुली निलामी में दिनांक 28–02–2000 को निष्पादित कण्डीशनल डीड ऑफ कनवेन्स के जरिये गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज के पक्ष में विक्रय कर, दिनांक 01–08–2000 को विक्रयपत्र का पंजीयन करा, कब्जा सिपूर्द कर दिया। तदुपरान्त गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज द्वारा क्रयशुदा सम्पति को राजस्व अभिलेखो में गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज के नाम नामान्तरित कराने के लिये एक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद निगराकार के उच्च अधिकारी जिला कलेक्टर, भीलवाडा एवं तहसीलदार, भीलवाडा के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 3, भीलवाडा द्वारा दिनांक 24–01–2015 को गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इन्डस्ट्रीज के पक्ष में डिक्री किया। उक्त समस्त तथ्य एवं दस्तावेजात को स्वयं निगंराकार ने हस्तगत निगरानी याचिका में उल्लेखित करते हुये स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार निगरानी याचिका के अर्न्तगत विचाराधीन पट्टा पत्र संख्या 36 के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध तथा पंजीकृत दस्तावेज यथा विक्रयपत्र आदि के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका प्रारम्भतः ही क्षैत्राधिकारिता एवं श्रवणाधिकारिता के आधार पर कानूनन पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यानुसार स्वीकृत रूप से निगरानी याचिका के अर्न्तगत विचाराधीन पट्टा संख्या 36 में वर्णित भूखण्ड मूल खातेदार बालू रेगर से हरिलाल गुजराती, हरिलाल गुजराती प्रोपराईटर मेसर्स शिव शक्ति शॉ मिल्स से मैसर्स विनय सिंघल एवं मैसर्स विनय सिंघल से गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज को गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा द्वारा जरिये कन्डीशनल डीड ऑफ कनवेन्स के विक्रय किया। इसके उपरान्त भी निगराकार ने हस्तगत याचिका में पारित होने वाले निर्णय से प्रभावित होने वाले इन पक्षकारों को याचिका में पक्षकार संस्थित नही किया। मूल खातेदार से लेकर गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज को विक्रय किये जाने के मध्य निष्पादित समस्त पंजीकृत विक्रयपत्रों के पक्षकार इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका आवश्यक पक्षकारों के अभाव में कानूनन पोषणीय नहीं होने से निगरानी याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से निगरानी याचिका के अर्न्तगत विचाराधीन पट्टा संख्या 36 में वर्णित भूखण्ड राजस्व ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाडा में अवस्थित आराजी संख्या 374 का हिस्सा है। यद्यपि उक्त भूखण्ड को गैर निगराकार संख्या 6, मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज ने गैर निगराकार संख्या 7 राजस्थान वित निगम, भीलवाडा से धारा 29 एसएफसी एक्ट के तहत खुली निलामी में क्रय किया था तथापि उक्त भूखण्ड बालू रेगर के व्यक्तिगत स्वामित्व एवं आधिपत्य का रहा होकर, उक्त भूखण्ड अथवा आराजी से निगराकार ग्राम पंचायत, सुवाणा अथवा किसी भी सार्वजनिक विभाग से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा और नही उक्त भूमि कभी भी राजस्व कार्ड में सरकार के नाम रही। यहां यह लिखना भी उचित एवं समीचीन है कि इस खण्ड के मूल विक्रेता बालू रेगर अथवा उसके निधनोपरान्त उसके वारिसान ने कभी भी उक्त पट्टे अथवा इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय, न्यायालय श्रीमान के समक्ष अथवा कहीं भी कोई उजर एवं एतराज नहीं किया। तात्पर्य यह है कि उक्त पट्टान्तर्गत भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी

18.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्यवाही करने का एकमात्र अधिकार बालू रेगर अथवा उसके निधनोपरान्त उसके वारिसान को ही उपलब्ध है तथा निगराकार को इस पट्टार्न्तगत भूखण्ड के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार (Locus Standi) ही नहीं है। अतः निगराकार को पट्टान्तर्गत भूखण्ड के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार (Locus Standi) ही उत्पन्न नहीं होने से निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। हस्तगत निगरानी याचिका में उल्लेखित माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 24–01–2015 के विरुद्ध निगराकार के उच्चाधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा एवं तहसीलदार भीलवाडा की ओर से माननीय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जो अवधि बाधित होने से दर्ज के प्रक्रम पर ही अस्वीकार कर दी गयी, जिसके विरुद्ध अपीलान्ट की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की हुयी है, जिसके प्रकरण संख्या 146/2023 है। निगरानी याचिका के अन्तर्गत विचाराधीन पट्टा सं0 36 में वर्णित भूखण्ड के संबंध में में सक्षम सिविल न्यायाधीश द्वारा पारति निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील लम्बित है तथा वह अपील निगराकार के उच्चाधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत की हुयी है। अतः उसी भूखण्ड के संबंध में निगराकार की ओर से प्रस्तुत की गयी याचिका स्वतः ही कानूनन पोषणीय नहीं है। गैर निगराकार संख्या 6 निम्न विनिश्चय प्रस्तुत है–

A. Registered deed could not have been set aside in revisional jurisdiction. It is well setteled that a Registered Deed sould have been set aside only by way of decree of a competent Civil Court and not otherwise.
   1. DNJ 2021[1] Raj 186 (Gopal Patel Vrs State of Rajasthan)
   2. DNJ 2019[1] Raj 339 (Inder Sen Vrs State of Rajasthan)
   3. RLW 2016[2] Raj 985 (Ramchandra Brs District Collector Hanumangarh)
   4. SBCWP 13491/2025 Dt.31-10-2025 (Ramgopal Tawari Vrs State of Rajasthan)

B. Patta disputed under Revision Petition is declared Valid by competent Civil Court (Addi. Civil Judge, No. 03, Bhilwara) in favour of M/s Shanti Industries () and Appealed by State against that judgement is dismissed by District Judge, Bhilwara and Second Appeal against that judgement is pending before Rajasthan High Court, Jodhpur and Stayed by High Court. Copy of Civil Court judgements and Stay Order Copy already present in File. Simultaneously Revision Petition About this Patta present before this court is not maintainable.

गैर निगराकार संख्या 6 ने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की निगराकार के द्वारा याचिका में विचाराधीन पट्टा संख्या 36 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। विचाराधीन पट्टा संख्या 36 वैध एवं प्रभावी होकर निगराकार की ओर से हस्तगत याचिका केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा एवं तहसीलदार भीलवाडा के विरूद्ध निष्पादन याचिका में पारित ओदश को अवैध तरीके से प्रभावहीन करने के अप्रत्यक्ष मकसद से प्रस्तुत की है, जो अवधि बाधित एवं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

कानून पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है निगरकार की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का पट्टा जारी करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। अतः प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांकित 06.02.1973 Ab Intio Void (प्रथमतः शून्य) होने से खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांकित 06.02.1973 Ab Intio Void (प्रथमतः शून्य) होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 175 व 177 का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.2.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा